



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1939 (श0)

(सं० पटना 09) पटना, मंगलवार, 2 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

2 जनवरी 2018

एस० ओ० 03, दिनांक 2 जनवरी 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर और बिहार के राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या- 1084, तारीख 16 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना एस. ओ- 290, तारीख 16 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पश्चात राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

4. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017(खंड-I)-13)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

2 जनवरी 2018

एस०ओ० 03 दिनांक 2 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-ब्रिकी-कर/जी०एस०टी०/विविध-21/2017(खंड-I)-13)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 2nd January 2018

S.O. 03 Dated 2nd January 2018— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), and in supersession of notification S.O.- 290 dated the 16th November, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 1084, dated the 16th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10 th January, 2018
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from 29 December, 2017.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-I)-13)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 09-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode